JPR5-348

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(मुख्य अभियंता वा.यो.एवं ग्रा.वि)

क्रमांक जेपीडी/मुअ(वायोएवंग्रावि) /सी–1/एफ4(284)/प्रे.1469 दिनांक 23.8.06

: आदेश :

विषय :– जनजाति क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों के कुटीर ज्योति योजना के कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोड़ने बाबत् ।

गत वर्षो में जनजाति क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन दिये गये थे। इन कनेक्शनों में से अधिकांशतः भुगतान नहीं किए जाने के फलस्वरूप काट दिये गये हैं । ऐसे कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं :–

1. ऐसे छः माह से अधिक अवधि के कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जोडने हेतु वर्तमान में ली जाने वाली 1700 /– रूपये की राशि के स्थान पर इन कनेक्शनों को जोड़ने हेतु मात्र 100 /– रूपये की राशि वसूल की जावेगी ।

2. ऐसे उपभोक्ताओं से संबंध विच्छेद की दिनांक के बाद भुगतान की देरी पर देय ब्याज की राशि की वसूली नहीं की जावेगी व विद्युत विच्छेद की दिनांक से पहले के भुगतान के डिलेड पेमेन्ट सरचार्ज (डीपीएस) की राशि का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जायेगा ।

3. उपरोक्त तरीके से दुबारा गणना कर बकाया निकाली गई राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जमा करा देने पर विद्युत कनेक्शन पुनः जोड दिये जायेगें व शेष बकाया राशि 35 मासिक किश्तों में वसूल की जावेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वा यो.एवं ग्रावि)